	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11-2-21	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित इन्तजार मौका रिपोर्ट व DLC पत्रावली 18-2-21 को पेश हो।	
18-2-21	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी वकालत उपस्थित मौका रिपोर्ट पत्रावली 25-2-21 को पेश हो।	
25-2-21	पत्रावली पेश हुई अधिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी [illegible] दौरे में तशरीफ रखते हैं। अन्य कार्य में व्यस्त है। अधिभाषकगण कन्डोलेन्स पर हैं। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 4-3-21 को पेश हों।	
4-3-21	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। मौका रिपोर्ट, DLC की रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली की गई वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.04.06 16:03:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी (राज0)

32 /प्रा.पत्र/2020
दायरा दिनाकं 09.07.2020

पीठासीन अधिकारी
श्री प्रमोद कुमार(R.A.S.)

1 केसरा पुत्र घॉसी जाति मीणा निवासी झीड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)
2 फून्दया पुत्र घॉसी जाति मीणा निवासी झीड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)
3 रामकरन पुत्र घॉसी जाति मीणा निवासी झीड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

.....(प्रार्थीगण)

बनाम

1 इन्द्रपाल पुत्र प्रताप जाति मीणा निवासी झीड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

2 गंगाबिशन पुत्र प्रताप जाति मीणा निवासी झीड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

3 जयबाई पत्नी प्रताप जाति मीणा निवासी झीड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

4 दयाराम पुत्र प्रताप जाति मीणा निवासी झीड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

5 पार्वती पुत्र प्रताप जाति मीणा निवासी झीड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

6 बाबूलाल पुत्र प्रताप जाति मीणा निवासी झीड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

7 खाना पुत्र बिहारी जाति मीणा निवासी झीड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

8 गियाराम पुत्र लालु जाति मीणा निवासी झीड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

9 शिवराज पुत्र बिहारी जाति मीणा निवासी झीड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.04.06 16:03:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

10 गिरिराज पुत्र हजारी जाति मीणा निवासी झीड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

11 फोरीलाल पुत्र गंगाधर जाति मीणा निवासी झीड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

12 स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

.....(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर0टी0एक्ट

निर्णय

दिनांक 04.03.2021

प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 251(क) में प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 208 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 209 रकबा 0.07 हैक्टेयर, वाके ग्राम झीडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में विरिथत है। जिसके खातेदार टिनेन्ट प्रार्थीगण है एवं काबिज होकर काश्तकारी करते है। उक्त कृषि भूमि में आने जाने का रास्ता खसरा संख्या 193 जो कि सिवायचक है व खसरा संख्या 214 जो कि स्वंय प्रार्थी संख्या 2 के खाते है व खसरा संख्या 216, खसरा संख्या 218, खसरा संख्या 217 जो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 खातेदार व खसरा संख्या 219, खसरा संख्या 220 जो कि खातेदार अप्रार्थी संख्या 10 व 11 है। यह कृषि भूमि इनके हिस्से में आई है तथा कृषि भूमि खसरा संख्या 213 खसरा संख्या212, खसरा संख्या 223 जो कि खातेदार अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 9 खातेदार है इन सभी खसरा नम्बरों में से प्रार्थीगण का रास्ता खसरा संख्या 247 में से होकर मुख्या रास्ता झीडा गॉव के रास्ते में मिलता है। उक्त रास्ता की चौड़ाई लगभग 20 फीट है इसमें से ही ट्रेक्टर,ट्रोली,हल,कुली आते जाते रहे है एवं आवागमन भी एक मात्र इसी रास्ता से होता है। उक्त रास्ता प्राचीन है जब से भूमि है। परिशिष्ट ए प्रार्थना पत्र को भाग है जिसमें नजरी नक्शा रास्ता बना रखा है जो गांव से होता हुआ प्रार्थीगण के खेत तक आता है इस रास्ता से अन्य खातेदारान भी आते जाते है। इस प्रकार रास्ता बाबत अधिकार खातेदार को प्राप्त है इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण के पास आने जाने के लिये कही पर नही है। तथा वर्तमान में रास्ता चालू है। इ[illegible] ही प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण आते जाते है। उक्त रास्ते बाबत त[illegible] दिया था। जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.04.06 16:03:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

पर मौका रिपोर्ट राजस्व पटवारी हल्का से प्राप्त की जिसमें भी स्पष्ट रास्ता अंकित है जो पहले भी था और आज भी है।

कृषि भूमि खसरा संख्या 193,खसरा संख्या 214, खसरा संख्या 216, खसरा संख्या 218, खसरा संख्या 217, खसरा संख्या 219, खसरा संख्या 220,212,213,223 में से प्रार्थीगण का रास्ता निकल रहा है एवं खसरा संख्या 212 खसरा संख्या 213 खसरा संख्या 223 कृषि भूमि जिसके खातेदार अप्रार्थीगण 7 लगायत 9 है जो इस रास्ते पर अवरोध पैदा करते है, आने जाने के लिए मना करते है। जबकि वर्तमान में रास्ता चालू है लेकिन उक्त रास्ता राजस्व नक्शा में मार्क किया जावें व उपयोग–उपभोग में आने जाने वाली भूमि का नियमानुसार जो विक्रय का मूल्य बनता है प्रार्थीगण उक्त आरोपित राशि को जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थीगण को खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 208 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नं. 209 रकबा 0.87 हैक्टेयर, वाके ग्राम झीड़ा तहसील इन्द्रगढ़ पर आने-- जाने का रास्ता दिलवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में तरमीम किया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1,2,4,6,10 की ओर से इकबालिया जवाब पेश हुआ। शेष अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व दिनांक 04.11.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। तहसीलदार इन्द्रगढ़ से प्रार्थीगण के खातेदारी कृषि भूमि पर आने–जाने बाबत रास्ते सम्बन्धित मौके एवं रिकार्ड की फर्द मौका रिपोर्ट एवं प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार एवं डी.एल.सी दर रिपोर्ट ली गई।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि पर जाने के लिए ग्राम झीड़ा से पुराना कच्चा रास्ता पूर्व से ही चला आ रहा है उक्त रास्ते से ही प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण आते--जाते रहे है। जो राजस्व रिकार्ड में तरमीम नही होने से अप्रार्थीगण रास्ते में अवरोध पैदा कर देते है। अतः प्रार्थीगण को मौका रिपोर्ट के अनुसार नियमानुसार 6 मीटर की चौड़ाई में रास्ता दिया जाकर राजस्व रिकार्ड में तरमीम किया जावें। प्रार्थीगण नियमानुसार राशि जमा कराने पर सहमत है।

हमारे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात फर्द मौका रिपोर्ट तहसीलदार इन्द्रगढ एवं नक्शा ट्रेस में दर्शाये गए रास्ते का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार इन्द्रगढ की रिपोर्ट से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.04.06 16:03:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि पर राजस्व रिकार्ड में आने जाने का कोई रास्ता दर्ज नही है। मौके पर पूर्व से ही एक कच्चा रास्ता चला आ रहा है प्रार्थी को स्वंय की खातेदारी कृषि भूमि पर आने –जाने का रास्ता खसरा न. 223, 224, 225, 226, 227, 212, 213,एव खसरा नं 193 मे से होकर खसरा नं. 219, 217, 216 एवं 214 की मेड के सहारे–सहारे रास्ता दिया जाना उचित होगा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं 208,209 वाके ग्राम झीडा मे आने जाने बाबत रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि वाके ग्राम झीड़ा तहसील इन्द्रगढ में स्थित खसरा नं. 208 व 209 पर आने –जाने के लिए 6 मीटर की चौडाई में खसरा न. 223, 224, 225, 226, 227, 212, 213,एव खसरा नं 193 मे से होकर खसरा नं. 219, 217, 216 एवं 214 की मेड के सहारे-सहारे रास्ता दिया जाता है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ की मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ते के उपयोग में आने वाली खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 223, 224, 212, 213 का कुल रकबा 0.1968 हैक्टेयर भूमि जिसकी डी.एल.सी दर से 109992 रूपये की मालियत होती है। तथा खसरा नं. 225, 226, 227, का कुल रकबा 0.0630 हैक्टेयर भूमि जिसकी डी.एल.सी दर से 35,210 रूपये की मालियत होती है। जिसकी दुगनी राशि क्रमशः 2,19,984 व 70420 रूपये जर्ये डी.डी. एवं रूपये तहसीलदार इन्द्रगढ को जमा कराने पर एवं खसरा नं. 193 सिवायचक की कुल रकबा 0.0420 हैक्टेयर जिसकी डी.एल.सी से 23,474 की मालियत है जिसकी दुगनी राशि 46,948 रूपये जर्ये चालान राजकोष में जमा कराने पर तहसीलदार इन्द्रगढ़ उपरोक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन कर तरमीम करावें। तत्पश्चात् राशि क्रमशः 2,19,984 व 70420 रूपये सम्बन्धित खातेदारों को हिस्सेनुसार वितरित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 04.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.04.06 16:03:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner